



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक 31.10.22

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कब्जे से एक नाजायज छुरा वरामद।

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री मुनीराज जी० के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा दिनांक 30.10.2022 को चैकिंग के दौरान समय रात्रि करीब 15.35 बजे 02 नम्बर मूवी मैजिक हाल के पास पहुंचे लाल बाग की ओर चौकी क्षेत्र इन्द्रापुरी से एक अभियुक्त सत्यम पुत्र मानसिंह निवासी लाल मन्दिर के पास भूरे सिंह के मकान मे किरायेदार मोहल्ला शिव वाटिका थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद मूल निवासी म०न० 16 हड्डीघर थाना सिपरी जनपद झाँसी को एक अदद नाजायज छुरी के साथ गिरफ्तार किया गया। अभि० को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1- सत्यम पुत्र मानसिंह निवासी लाल मन्दिर के पास भूरे सिंह के मकान मे किरायेदार मोहल्ला शिव वाटिका थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद मूल निवासी म०न० 16 हड्डीघर थाना सिपरी जनपद झाँसी

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1.मु०अ०स० 811/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद

अभियुक्त से बरामद का विवरण-

1. एक अदद नाजायज छुरा वरामद

गिरफ्तार करने वाली टीम –

- 1-उ०नि० संजीव कुमार थाना लोनी बोर्डर गा०बाद।
- 2.उ०नि० आशीष जादौन थाना लोनी बोर्डर गा०बाद।
- 3.हे०का० 138 जितेन्द्र कुमार थाना लोनी बोर्डर गा०बाद।

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही: जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद की टीम द्वारा दिनांक: 31.10.22 समय 10.50 बजे माता मन्दिर मोहन नगर पर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से अभियुक्तगण 1. करन यादव पुत्र करनैल सिंह उर्फ पप्पू यादव निवासी किराये का मकान गली नं0 01 जनकपुरी थाना साहिबाबाद जिला गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष 2. सददाम पुत्र सईयाद निवासी म0नं0 70 गली नं0 02 बुद्ध नगर थाना लोनी जिला गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष को गिरफ्तार किया।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभि0 गण द्वारा साहिबाबाद क्षेत्र में मोटर साईकिल से घूम घूम कर मोबाइल स्वैचिंग करना तथा उसे लेकर टाइप के गरीब लोगो को सस्ते दामों पर बेचना । उक्त मो0सा0 सवार दोनो व्यक्तियों को मौके पर पूछताछ एवं जामातलाशी से 01 अदद मोबाईल फोन व 1500 रुपये नगद व लूट मे प्रयुक्त मो0सा0 व 02 अदद चाकू नाजायाज मिला जिसके सम्बन्ध मे थाना हाजा पर पर मु0अ0स0 1736/22 धारा 4/25 ए एक्ट व मु0अ0स0 1737/22 धारा 4/25 ए एक्ट पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. करन यादव पुत्र करनैल सिंह उर्फ पप्पू यादव निवासी किराये का मकान गली नं0 01 जनकपुरी थाना साहिबाबाद जिला गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष
2. सददाम पुत्र सईयाद निवासी म0नं0 70 गली नं0 02 बुद्ध नगर थाना लोनी जिला गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 1278/2022 धारा 392/411 भादवि
2. मु0अ0सं0 701/22 धारा 392/411 भादवि

3. मु0अ0सं0 1736/22 धारा 4/25 ए एक्ट

4. मु0अ0सं0 1737/22 धारा 4/25 ए एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 हरेन्द्र मलिक

है0कां0 1039 पवन कुमार

कां0 1039 धर्मेन्द्र शर्मा

थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा 6 वर्षीय बच्ची के साथ अपराधिक यौन कृत्य (डिजिटल रेप) की घटना मे वांछित अभियुक्त मात्र 11 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार

कार्यवाही - श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन मे व पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के कुशल नेतृत्व मे तथा क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल पर्यवेक्षण मे अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे थाना इन्दिरापुरम पुलिस को उस समय सफलता प्राप्त हुई जब थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र गावं कनावनी मे 6 वर्ष की बच्ची के साथ गलत अपराधिक यौन कृत्य करने के सम्बन्ध मे थाना इन्दिरापुरम पर पंजीकृत कराये गये मु0अ0सं0 1421/22 धारा 376AB आईपीसी व 5M/6 पोक्सो एक्ट बनाम अजय पुत्र गजराज मे वांछित अभियुक्त अजय को दिनांक 30.10.2022 को समय करीब रात्रि 11.50 बजे छिजारसी कट एनएच 24 से गिरफ्तार किया गया तथा जेल भेजा जा रहा है।

घटना का विवरण-

अभियुक्त अजय उपरोक्त के द्वारा दिनांक 29.10.22 समय करीब रात्री 8 से 9 के बीच पडोस मे ही रहने वाली 6 वर्षीय बच्ची के साथ अंगुली से अपराधिक यौन कृत्य (डिजिटल रेप) किया था . अगले दिन दिनांक 30.10.22 को थाना इन्दिरापुरम पर सूचना प्राप्त होने पर इसके सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 1421/22 धारा 376AB आईपीसी व 5M/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत

किया गया था . अभियुक्त घटना के बाद से ही फरार था . पुलिस लगातार अभियुक्त की तलाश कर रही थी . इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा अथक प्रयास करते हुये अपराध पंजीकृत होने के 11 घंटे के अंदर ही अभियुक्त को गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की है . अभियुक्त को विधिक कार्यवाही के बाद जेल भेजा जा रहा है .

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अजय उर्फ रामनरेश पुत्र गजराज नि० ग्राम निगोह खास थाना छिवरामऊ जिला कन्नौज
वर्तमान पता गाव कनावनी थाना इन्दिरापुरम

अभियोग का विवरण

1- मु०अ०स० 1421/22 धारा 376AB आईपीसी व 5M/6 पोक्सो एक्ट थाना
इन्दिरापुरम गा०बाद

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक इन्दिरापुरम श्री देवपाल सिंह पुन्डीर
- 2- उ०नि० श्री अमित कुमार
- 3- का० 2398 अनुभव
- 4- का० 1307 इन्द्रजीत सिंह

थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 16 बैटरी , एक अदद अवैध तमंचा मय कारतूस व घटना मे प्रयुक्त 01 कार बरामद ।

कार्यवाही श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन मे व पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के कुशल नेतृत्व मे तथा क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल पर्यवेक्षण मे अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे थाना इन्दिरापुरम पुलिस को उस समय सफलता प्राप्त हुई जब थाना इन्दिरापुरम के नीतिखण्ड क्षेत्र मे स्थित पीएनबी बैंक के एटीएम से

बैटरी चोरी करने के सम्बन्ध में बैंक वरिष्ठ प्रबन्धक द्वारा पंजीकृत मु0अ0स0 1424/22 धारा 379,411 आईपीसी में वाँछित अभियुक्त मनोज पुत्र अमर सिंह को गुरुद्वारा से कनावनी पुलिया वाले रास्ते से दिनांक 30.10.22 को समय करीब रात्रि 11 बजे गिरफ्तार किया गया .अभियुक्त के कब्जे से चोरी कि गये 16 बैटरी , एक अदद तमंचा 315 बोर मय कारतूस व चोरी की घटना में प्रयोग की गई कार बरामद कर अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:—

1- मनोज पुत्र अमर सिंह पता म0न0 650 राजीव नगर यादव चौक संगम पार्क खोडा गाजियाबाद

घटना का विवरण

दिनांक 29.10.22 / 30.10.22 की रात्री में अज्ञात चोर द्वारा पीएनबी एटीएम नीतिखण्ड से कुछ बैटरी चोरी कर ली गयी थी जिसमें चोरी की घटना सीसीटीवी फूटेज से पुष्टि हुई थी . चोरी की घटना के सम्बन्ध में पीएनबी की वरिष्ठ प्रबन्धक द्वारा थाना इन्दिरापुरम पर मु0अ0स0 1424/22 धारा 379,411 आईपीसी पंजीकृत कराया गया था. थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम के द्वारा घटना के 24 घटें के अंदर ही अभियुक्त मनोज उपरोक्त को सीसीटीवी फूटेज के आधार पर चुराई गयी समस्त 16 बैटरी मय एक अदद नाजायज तमंचा मय कारतूस सहित दिनांक 30.10.22 को समय करीब रात्रि 11 बजे गिरफ्तार करते हुये घटना का खुलासा किया गया है .

आपराधिक इतिहास अभियुक्त

1- मु0अ0स0 1424/22 धारा 379,411 आईपीसी थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद

2- मु0अ0स0 1425/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद ।

अभियुक्त से बरामदगी

16 अदद बैटरीयाँ

1 कार हुँडई एक्सेन्ट (चोरी में प्रयुक्त)

01 अदद तमंचा 315 बोर मय कारतूस

गिरफ्तार करने वाली टीम:—

1- प्रभारी निरीक्षक देवपाल सिंह पुन्डीर

2- उ0नि0 रविन्द्र कुमार

3- उ0नि0 अनुज कुमार

4- है0का0 1341 कुशल

5- है0का0 1375 संजय सिंह



-प्रेस नोट-

थाना ट्रोनिका सिटी, जनपद गाजियाबाद।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, जिनके कब्जे 01 अदद चोरी की मोटर साईकिल बरामद होना

दिनांक 31.10.2022

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, महोदय के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी महोदय लोनी के उचित निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द पाठक की टीम द्वारा दिनांक 30.10.22 समय 22.45 बजे दौराने चैकिंग कासिम विहार कट से करीब 20- 25 कदम कासिम विहार कालोनी की तरफ सडक पर चौकी क्षेत्र रामपार्क से 02 नफर अभियुक्त 1.धीरज कश्यप पुत्र रक्षपाल निवासी गली नं. 27,शेरपुर चौक,भजनपुरा , थाना भजनपुरा, दिल्ली ,उम्र करीब 26 वर्ष 2. संजू शर्मा पुत्र विश्वनाथ शर्मा निवासीगली नं. 27,शेरपुर चौक,भजनपुरा, थाना भजनपुरा, दिल्ली, उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी की एक अदद मो0सा0 रजि. नं. DL5SCE8746 बरामद हुई।

नाम पता अभियुक्त:-

1. धीरज कश्यप पुत्र रक्षपाल निवासी गली नं. 27, शेरपुर चौक,भजनपुरा , थाना भजनपुरा, दिल्ली ,उम्र करीब 26 वर्ष
2. संजू शर्मा पुत्र विश्वनाथ शर्मा निवासीगली नं. 27, शेरपुर चौक,भजनपुरा , थाना भजनपुरा, दिल्ली,उम्र करीब 22 वर्ष



आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 610/धारा 411 22/भादवि 414

अपराध करने का तरीका: -

अभियुक्तो ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग बाईक चोरी करते हैं तथा चलते फिरते लोगो को कम दामों में बेचकर अपने परिवार का पेट पालते हैं व अपने शौक पूरे करते हैं।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

उ 0नि0 कृष्ण कुमार

उ0नि0 अवधेश कुमार

उ 0नि0 शिवओम पाण्डेय

का मनवीर सिंह 1233 0

बरामदी का विवरण:-

एक अदद चोरी की मो0सा0 रजि. नं. DL5SCE8746 बरामद



प्रेस नोट

दिनांक 31.10.2022 थाना लोनी

थाना लोनी पुलिस द्वारा अवैध शराब की बिक्री करने वाला 01 अभियुक्त मय 11

बोतल देशी शराब दिल्ली मार्का सहित गिरफ्तार।

श्री मुनिराज जी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा अवैध शराब की बिक्री करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गाजियाबाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त **विनोद कुमार पुत्र भुल्ली निवासी म0न0 330 विकास नगर थाना लोनी गा0बाद उम्र करीब मय 11** बोतल देशी शराब दिल्ली मार्का सहित विकास इण्टर कालेज से ईदगाह रोड चौकी क्षेत्र डाबर तालाब से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

विनोद कुमार पुत्र भुल्ली निवासी म०न० 330 विकास नगर थाना लोनी गा०बाद उम्र करीब 35 वर्ष,

अभियोग का विवरण:-

मु०अ०सं० 1305/2022 धारा 60/63 आबकारी अधि० थाना लोनी गाजियाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. SHO श्री अजय चौधरी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ,
2. उ०नि० श्री रविशंकर पाण्डेय चौकी प्रभारी डाबर तालाब थाना लोनी गा०बाद,
3. का० 1287 राजू सिंह थाना लोनी गा०बाद,
4. का० 970 घनश्याम सिंह थाना लोनी गा०बाद,

बरामदगी का विवरण:-

11 बोतल देशी शराब (5- बडी व 6 छोटी बोतल) दिल्ली मार्का ।



प्रेस नोट

दिनांक 31.10.2022 थाना लोनी

थाना लोनी पुलिस द्वारा चोरी करने वाले 01 नफर शातिर अभियुक्त मय चोरी के एक लैपटॉप व टैबलेट मय चार्जर व एक नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार

श्री मुनिराज जी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा चोरी करने वाले अभियुक्त के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा०बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी करने वाला एक शातिर अभियुक्त रियाज पुत्र शरीफ निवासी ग्राम मिलक

धर्मू गुज्जर मे मकान मे किरायेदार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र 29 वर्ष मय चोरी किये एक लैपटाप HP कम्पनी रंग काला व ग्रे मय HP कम्पनी के चार्जर तथा एक टेबलेट लेनेवो, रंग काला तथा एक नाजायज चाकू सहित शंकर विहार से सीमेंट रोड पुस्ता कट के पास चौकी क्षेत्र डीएलएफ से गिरफ्तार किया गया । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1. रियाज पुत्र शरीफ निवासी ग्राम मिलक धर्मू गुज्जर मे मकान मे किरायेदार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र 29 वर्ष,

आपराधिक इतिहास-----

- 1.मु0अ0सं0 1306/22 धारा 414 भादवि थाना लोनी गा0बाद
- 2.मु0अ0सं0 1307/22 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना लोनी गा0बाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.SHO श्री अजय चौधरी थाना लोनी गा0बाद,
- 2.उ0नि0 रविन्द्र कुमार चोकी प्रभारी DLF लोनी गा0बाद,
- 3.का0 2909 नितिन कुमार थाना लोनी गा0बाद,
4. व का0 3768 कुलदीप थाना लोनी गा0बाद ,

बरामदगी का विवरण:-

- 1.चोरी का एक लैपटाप चार्जर सहित HP कम्पनी,
- 2.एक टेबलेट लिनोव कम्पनी ,
- 3.एक अदद नाजायज चाकू बरामद,

प्रेस नोट:-

वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 31.10.2022 थाना भोजपुर, गाजियाबाद



श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय गाजियाबाद द्वारा वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतू चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना भोजपुर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना भोजपुर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 243/22 धारा धारा 323/324/504/506/ 307भा0द0वि0 थाना भोजपुर, गा0बाद में वांछित अभियुक्त रोहित पुत्र चिरंजी निवासी ग्राम अतरौली थाना भोजपुर गा0बाद को दिनांक 30.10.22 समय 23.50 बजे अभियुक्त रोहित उपरोक्त अपने मसकन ग्राम अतरौली से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

रोहित पुत्र चिरंजी निवासी ग्राम अतरौली थाना भोजपुर गा0बाद

अभियोग का विवरण: -

मु0अ0स0 243/22, धारा 323/324/504/506/भा0द0वि0 307 थाना भोजपुर, गा0बाद

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक बृज किशोर गौतम, थाना भोजपुर, गाजियाबाद,
2. उ0नि0 श्री अनुज कुमार, थाना भोजपुर गा0बाद,
3. है0का0 1409 अनिल कुमार, थाना भोजपुर गा0बाद,
4. का0 विवेक कुमार 3873, थाना भोजपुर, गा0बाद।